

कार्यालय- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़

पत्रांक/मान्यता/ ५०६५.०३

/2018-19

दिनांक ०२/०३/१९

प्रबंधक

बी०एल०सुधिता इंटरनेशनल स्कूल, विश्वनाथगंज(सहेरुआ), मान्यता
प्रतापगढ़

विषय:- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार का अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र सम्बन्धी।

महोदय/महोदया,

आप के तारीख 13.02.2019 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्वी पत्राचार/निरीक्षण/के प्रतिनिर्देश से मैं बी०एल०सुधिता इंटरनेशनल स्कूल, विश्वनाथगंज(सहेरुआ), मान्यता प्रतापगढ़ को दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2022 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 दिनांक 11 जनवरी 2019 के अधीन देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्ययन है:-

- 1 - मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/सम्बंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
 - 2 - विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009(उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम(उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
 - 3 - विद्यालय कक्षा 1 में(या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
 - 4 - पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा(2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
 - 5 - सोसाइटी/विद्यालय किसी कैंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्ययन नहीं करेगा।
 - 6 - विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। एवं विद्यालय निम्नलिखित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करेगा।
 - (1)- प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी शिक्षा पूरी होने तक, किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (2)- किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्ययन नहीं किया जायेगा।
 - (3)- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई भी बोर्ड परीक्षा, उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (4)- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये विबंधन के अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (5)- अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
 - (6)- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और है कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
 - 7 - अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगा।
 - (8)- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7 - विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।

स्थलीय निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा प्रदत्त आख्या के अनुसार प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल -	20000 वर्गमी०
कुल निर्मित क्षेत्र -	3000 वर्गमी०
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल -	17000 वर्गमी०
शिक्षण कक्षों की संख्या -	10
प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय -सह भण्डारघर के लिये कक्ष -	03
बालक और बालिकाओं के पृथक-पृथक शौचालय/मूत्रालय -	उपलब्ध है
पेयजल सुविधा -	उपलब्ध है
मिड डे मील के लिये रसोई -	-
बाधा रहित पहुँच -	है

अध्यापन पाठन सामाग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता - उपलब्ध है

- 9 - विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं संचालित नहीं की जाएगी।
- 10 - विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।
- 11 - विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12 - स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा हो।
- 13 - विद्यालय के लेखाओं को किसी चाटर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण तैयार किया जाना चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14 - आप के विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **E-344** है। भविष्य में इस कार्यालय के साथ पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15 - विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाएं।
- 16 - सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 17 - संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(अशोक कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
प्रतापगढ़

पृ०सं०/मान्यता/ _____ /2018-19 तद्दिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।
- 3- सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
- 4- जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी।
- 5- सहायक शिक्षा अधिकारी, मण्डलालय/मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।
- 6- कार्यालय सुरक्षा पत्रावली हेतु।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
प्रतापगढ़

